प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

न्यायपीठ :	**माननीय श्री टी.पी. शर्मा, एवं** **श्री आर.एल. झंवर, न्यायाधीशगण**

दाण्डिक अपील क्र. 266/2003

अपीलार्थीगण गोविंद लाल एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय हेतु विचारार्थ।

सही/-
(टी.पी. शर्मा)
न्यायाधीश

माननीय श्री आर.एल झंवर, न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ ।

सही/-
(आर.एल झंवर)
न्यायाधीश

निर्णय की उद्घोषणा हेतु यह प्रकरण दिनांक 28.01.2010 के लिए सूचीबद्ध करें।

सही/-
(टी.पी. शर्मा)
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

न्यायपीठ : **माननीय श्री टी.पी. शर्मा, एवं**
श्री आर.एल झंवर, न्यायाधीशगण

दाण्डिक अपील क्र. 266/2003

अपीलार्थीगण :
(कारावास में)

1. गोविंद लाल पिता कन्हैया राम साहू, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम मढ़ी, पुलिस चौकी सिलियारी, थाना धरसींवा, जिला रायपुर (छ.ग.)

2. भक्तु राम पिता दीनदयाल साहू उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम मढ़ी, पुलिस चौकी सिलियारी, थाना। धरसींवा, जिला. रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य

{दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अंतर्गत अपील}

उपस्थिति:-

अपीलार्थीगण के लिए श्री सोमनाथ वर्मा, अधिवक्ता।
राज्य/प्रत्यर्थी के लिए श्री राकेश झा, उप-शासकीयअधिवक्ता।

<u>निर्णय</u>

(28.01.2010)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायमूर्ति टी.पी. शर्मा द्वारा पारित किया गया: -

1. इस अपील में सत्र प्रकरण क्र. 183/2002 में तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा दिनांक 16-1-2003 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके अंतर्गत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को कुलेश्वर का हत्यातुल्य मानववध जो हत्या की कोटी में आ सकेगा, कारित करने तथा आपराधिक मामले के साक्ष्य को छिपाने के लिए दोषी अभिनिर्धारित करते हुए, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 201 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया था तथा प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड तथा पांच वर्ष के लिए सश्रम कारावास एवं 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डादिष्ट किया था, दोनों मामलों में अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम में क्रमशः अतिरिक्त चार माह के लिए सश्रम कारावास से दण्डादिष्ट किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्य के अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को उपर्युक्त रूप में दोषसिद्ध और दण्डादिष्ट किया है और इस प्रकार से अवैधता की है।

3. अभियोजन पक्ष का प्रकरण, संक्षेप में, यह है कि कुलेश्वर (अब मृतक) का अपीलार्थी क्रमांक 1 गोविंद लाल की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। पहले, कुलेश्वर अपीलार्थी क्रमांक 1 गोविंद के घर में नौकर के रूप में काम करता था और जब गोविंद को यह तथ्य ज्ञात हुआ कि कुलेश्वर का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है, तो गोविंद ने कुलेश्वर को नौकरी से हटा दिया, लेकिन उसके बाद भी, कुलेश्वर अपीलार्थी गोविंद के घर, खासकर गोविंद की अनुपस्थिति में, आता-जाता रहा। दिनांक 5-3-2002 के दुर्भाग्यपूर्ण दिन मृतक कुलेश्वर शाम लगभग 7 बजे अपीलार्थीगण क्रमांक 1 गोविंद के घर आया। कुलेश्वर नशे की हालत में था। अपीलार्थीगण क्रमांक 1 गोविंद का बेटा हरिराम घर पर मौजूद

था। कुलेश्वर ने अपीलार्थीगण और उसकी पत्नी के बारे में पूछा। कुछ देर बाद लगभग 8.30 बजे, कुलेश्वर फिर से दीवार फांदकर अपीलार्थीगण क्रमांक 1 गोविंद के घर आया और चिल्लाने लगा। गोविंद ने कुलेश्वर को उसके घर से निकालने प्रयास किया। अपीलार्थीगण क्रमांक 2 भक्तू राम घर के बाहर खड़ा था। गोविंद किसी तरह कुलेश्वर को उसके घर से निकालने में कामयाब हो गया। पुनः रात्रि लगभग 10.30 बजे कुलेश्वर ने गोविंद का दरवाजा खटखटाया, गोविंद ने दरवाजा खोला तो कुलेश्वर ने गाली-गलौज की, गोविंद ने कुलेश्वर को अपने कमरे में खींच लिया और सह-अभियुक्त भक्तू को घर में बुला लिया। तत्पश्चात गोविंद ने भक्तू के साथ मिलकर कुलेश्वर का गला रस्सी (मवेशियों के लिए प्रयुक्त कसडा) से बांध दिया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। गोविंद और भक्तू ने कुलेश्वर के शव को कंधे पर उठाकर सनतराम वर्मा के खेत में फेंक दिया और उसके बाद वे कार्यक्रम देखने चले गए। दिनांक 6-3-2002 को कुलेश्वर का शव सनतराम वर्मा के खेत में मिला। बेनीराम वर्मा (अभि०सा०-11) ने रामप्रसाद (अभि०सा०-2) को सूचित किया कि सनत के खेत में एक शव पड़ा है। इस पर रामप्रसाद अन्य व्यक्तियों के साथ खेत पर गए और शव की पहचान रामप्रसाद (अभि०सा०-2) के भतीजे कुलेश्वर के रूप में की। इस पर रामप्रसाद ने पुलिस थाने जाकर प्रदर्श पी-20 के अंतर्गत मर्ग दर्ज कराया। देहाती नालिशि प्रदर्श पी-22 के अंतर्गत दर्ज किया गया। पंजीकृत मर्ग प्रदर्श पी-24 के अंतर्गत दर्ज किया गया और अंततः पंजीकृत प्र०सू० रिपोर्ट प्रदर्श पी-25 के अंतर्गत दर्ज की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. प्रदर्श पी.-1 के अंतर्गत साक्षियों को सम्मन करने के बाद, प्रदर्श पी.-2 के अंतर्गत कुलेश्वर के शव की मृत्यु समीक्षा तैयार की गई। अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रदर्श पी.-4 के अंतर्गत मौका का नक्शा तैयार किया गया। कुलेश्वर के शव को प्रदर्श पी.-21 के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, रायपुर में शव परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. एस.के. दादू (अ.सा.-15) द्वारा प्रदर्श पी.-14 के अंतर्गत शव परीक्षण किया गया और निम्नलिखित चोटें पाई गईं:-

(1) हाथ आपस में जकड़े हुए थे।

(2) माथे पर कई खरोंच के निशान।

(3) दाहिने हाथ के अग्र पार्श्व भाग पर कई खरोंच के निशान।

(4) दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग पर कई खरोंच के निशान।

(5) बाएँ कंधे पर कई खरोंच के निशान।

(6) बाएँ पैर के ऊपरी एक-तिहाई भाग पर आगे की ओर खरोंच का निशान जिसका आकार 2.5 सेमी 0.5 सेमी है।

(7) बाएँ मध्य भाग पर कई खरोंच के निशान।

(8) बाएँ कंधे पर पीछे की ओर एक के ऊपर एक खरोंच का निशान जिसका आकार 1.5 सेमी 1 सेमी और 1 सेमी 0.5 सेमी और जो तिरछा, लंबवत, अनियमित था।

(9) गर्दन के आगे के भाग पर कई बंधन के निशान।

(10) बांधने के निशानों के नीचे भारी मात्रा में खून पाया गया।

(11) हायॉइड हड्डी टूटी हुई पाई गई।

मृतक की मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था तथा मृत्यु मानववध प्रकृति की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. जांच के दौरान, अपीलार्थीगण गोविंद को अभिरक्षा में ले लिया गया, उसने मवेशियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रस्सी के बारे में प्रकटीकरण कथन किया, प्रदर्श पी-5 के अनुसार, उसने सूखी घास (पैरावट) के नीचे से रस्सी निकालने के बाद उसे प्रस्तुत किया और उसे प्रदर्श पी-7 के अनुसार बरामद किया गया। प्रदर्श पी-6 के अनुसार मौका से खून के धब्बे और सादी मिट्टी बरामद की गई। प्रदर्श पी-8 के अनुसार गोविंद के कपड़े जब्त किए गए। प्रदर्श पी-9 के अनुसार भक्कू के कपड़े जब्त किए गए। अन्वेषण अधिकारी ने प्रदर्श पी-10 के अनुसार दूसरा मौका नक्शा तैयार किया। रस्सी को डॉक्टर के पास जांच के लिए भेजा गया और डॉक्टर ने प्रदर्श पी-16 के अनुसार अभिमत दिया कि मृतक के गले पर पाए गए निशान जांच के लिए प्रस्तुत की गई रस्सी के कारण हो सकते हैं। पटवारी ने प्रदर्श पी-18 और पी-19 के अनुसार नजरी नक्शे तैयार किए।

6. साक्षियों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए और अन्वेषण पूर्ण होने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर के समक्ष अभियोग पत्र दायर किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, रायपुर को उपार्पित कर दिया, जहां से विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने

विचारण के लिए प्रकरण को अंतरण पर प्राप्त किया।

7. अपीलार्थीगण का अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने उन्नीस साक्षियों का परीक्षण कराया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्तों का परीक्षण किया गया था, जिसमें उन्होंने उनके विरुद्ध दर्शित परिस्थितियों से इनकार किया और स्वयं के निर्दोष होने और झूठे आरोप में फंसाए जाने का अभिवाक किया।

8. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को उपरोक्त वर्णित अनुसार दोषसिद्ध और दण्डादिष्ट किया।

9. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा विचारण न्यायालय के निर्णय और अभिलेख का अवलोकन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मामले में, अभियोजन पक्ष को निम्नलिखित तथ्य सिद्ध करने होंगे: -

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना हैं, वे स्पष्ट और दृढ़ता से स्थापित होने चाहिए;

(2) वे परिस्थितियाँ निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिएं जो बिना किसी त्रुटि के अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित करती हों;

(3) उन परिस्थितियों को एक साथ लेने पर, उनसे एक ऐसी श्रृंखला बननी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इस निष्कर्ष से बचने का कोई अवसर नहीं हो कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया था, किसी और के द्वारा नहीं; और

(4) दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होने चाहिए और उन्हें अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी

अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होने चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए बल्कि अपितु निर्दोषता के साथ भी असंगत होना चाहिए।

वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि अपीलार्थीगण ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपराध कारित किया है और आपराधिक मामले के साक्ष्य को छिपाया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि वर्तमान मामले में, मृतक को अंतिम बार अपीलार्थीगण के साथ जीवित नहीं देखा गया था और उसके बाद, वह मृत पाया गया था। अपीलार्थीगण ने कोई न्यायिकेत्तर संस्वीकृति नहीं दी है या कोई प्रकटीकरण कथन नहीं दिया है और चिकित्सक ने यह अभिमत नहीं दिया है कि शव पर पाए गए लिगेचर के निशान केवल अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद रस्सी के कारण ही हो सकते हैं। संदेह चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, किसी भी विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता, अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि विधिक दृष्टि में पोषणीय नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने **तरसीम कुमार विरुद्ध दिल्ली प्रशासन**[1] के प्रकरण के निर्णय का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के मामले में, अभियुक्त की ओर से अपराध करने के हेतुक की महत्ता अधिक हो जाती है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **श्रीपाद शिवराम कुलकर्णी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य**[2] के प्रकरण के निर्णय का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, परिस्थितियों को निश्चित रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित करना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने **अंतर सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य**[3] के प्रकरण के निर्णय का भी अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि तथ्यों के प्रकटीकरण के मामले में, अभियोजन पक्ष को यह साबित करने की आवश्यकता है कि प्रकट किये गए तथ्यों की सुसंगता साबित की जा सकती है और अभियुक्त द्वारा दिया गया शेष कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 24, 25, 26 और 27 के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं है। उक्त निर्णय का सुसंगत भाग निम्नानुसार है: -

".....खोजे गए तथ्य की सुसंगता, अपराध से जुड़े अन्य साक्ष्यों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

1 एआईआर 1994 एससी 2585
2 एआईआर 1981 एससी 34
3 एआईआर 2004 एससी 2865

की सुसंगता से संबंधित निर्देशों के अनुसार स्थापित की जानी चाहिए ताकि खोजे गए तथ्य को स्वीकार्य बनाया जा सके। (2) तथ्य की खोज की जानी चाहिए। (3) यह खोज अभियुक्त से प्राप्त किसी जानकारी के परिणामस्वरूप होना चाहिए, न कि अभियुक्त के अपने कृत्य से। (4) जानकारी देने वाले व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप होना चाहिए। वह किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में होना चाहिए। (5) अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप तथ्य को अभिसाक्ष्य में लेना चाहिए। (6) इसके बाद जानकारी का केवल वही भाग साबित किया जा सकता है जो खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से या पूरी तरह से संबंधित हो....."

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **रतन गोंड विरुद्ध बिहार राज्य**[4] के प्रकरण का अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त की संस्वीकृति धमकी, वादे और प्रलोभन से मुक्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विद्वान अधिवक्ता ने **लखनपाल विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य**[5] के प्रकरण का भी अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पहले पुलिस के समक्ष और फिर दूसरों के समक्ष दी गई संस्वीकृति पर विश्वास करना सुरक्षित नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध किया और जोरदार ढंग से तर्क दिया कि गला घोंटने/गला दबाने के परिणामस्वरूप मृतक कुलेश्वर की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर विवाद नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि अपीलार्थीगण मृतक के साथ थे और उसके बाद मृतक को जीवित नहीं देखा गया था। मृतक न केवल अपीलार्थीगण के साथ था, अपितु अपीलार्थीगण ने मृतक को बुलाया था और उसे अपने साथ ले गए थे,तथापि, अपीलार्थीगण की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि मृतक को छोड़कर कब गए थे। केवल परिस्थितियां ही यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थीगण ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने मृतक का मानववध कारित किया है।

---

[4] एआईआर 1959 एससी 18
[5] एआईआर 1979 एससी 1620

12. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को समझने के लिए हमने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

13. वर्तमान मामले में, गला घोंटने/गला दबाने के परिणामस्वरूप मृतक की हत्या की बात पर अपीलार्थीगण द्वारा पर्याप्त रूप से आक्षेप नहीं किया गया है, अन्यथा डॉ. एस.के. दादू (अभि०सा०-15) और शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी-14 के साक्ष्य से भी यह बात स्थापित होती है, जिससे पता चलता है कि मृतक की गर्दन पर बांधे जाने के कई निशान थे, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर खरोंच के निशान थे, मृतक की मृत्यु गला घोंटने के परिणामस्वरूप हुई थी और यह मानववध की प्रकृति की थी।

14. जहां तक प्रश्नगत अपराध में अपीलार्थीगण की संलिप्तता का प्रश्न है, अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि निम्न पर आधारित है:-

    1. अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत;
    2. अपीलार्थीगण द्वारा की गई न्यायिकेत्तर संस्वीकृति;
    3. और अपीलार्थी क्र. 1 गोविंद की निशानदेही पर रस्सी के तथ्यों का खुलासा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. मृतक के पिता आशाराम (अभि०सा०-1) ने अपने साक्ष्य में अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के पूर्व मृतक 4-5 वर्षों तक अपीलार्थी क्रमांक 1 गोविंद के घर में काम करता था; घटना दिनांक को मृतक उसके घर में मौजूद था; अपीलार्थी क्रमांक 2 भक्तू, झरियार और शांतनु उसके घर आये; उन्होंने रात्रि में भोजन किया परन्तु मृतक ने भोजन नहीं किया; कुछ समय पश्चात झरियार और शांतनु उसके घर से चले गये; भक्तू ने मृतक से कहा कि वे गोविंद के घर में भोजन करेंगे जिस पर मृतक भक्तू के साथ गया परन्तु जीवित वापस नहीं आया और दूसरे दिन उसकी लाश घायल अवस्था में मिली।

16. रामप्रसाद (अभि०सा०-2) ने बयान दिया है कि घटना के दूसरे दिन मृतक का शव सनत के खेत में मिला था, जिस पर उसने शिकायत दर्ज करायी थी।

17. मृतक के भाई अशोक कुमार साहू(अभि०सा०-3) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि गाँव में कोई कार्यक्रम आयोजित था और वह रात में उस कार्यक्रम में मौजूद था। वह सुबह 5 बजे अपने घर आया और सोने चला गया। कुछ देर बाद उसकी पत्नी ने उसे जगाया और बताया कि उसका छोटा भाई कुलेश्वर वापस नहीं आया है और उसका शव सनत के खेत में पड़ा है। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसका भाई भक्कू के साथ गोविंद के घर खाना खाने गया था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक कुलेश्वर के अपीलार्थी गोविंद की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे और अपीलार्थीगण ने उसके भाई की हत्या कर दी है।

18. झारियार(अभि०सा०-6) ने अपने साक्ष्य में अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे मृतक चोवाराम के पिता ने रात्रि भोजन के लिए आमंत्रित किया था, वह शांतनु के साथ मृतक के घर गया और उन्होंने भोजन किया, अपीलार्थीगण भक्कु भी वहां मौजूद था और शराब पीने के बाद, भक्कु और शांतनु ने भी भोजन किया, लेकिन कुलेश्वर ने भोजन नहीं किया, उसके बाद, शांतनु, भक्कु और कुलेश्वर घर से चले गए, भक्कु पान की दुकान पर गया और दूसरे दिन उसे पता चला कि कुलेश्वर की मृत्यु हो गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. मृतक के भाई तोपलाल साहू (अभि०सा०-8) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि भक्कु, शांतनु और झरियार उसके घर आए थे, उन्होंने कुलेश्वर के साथ खाना खाया, उसके बाद शांतनु, झरियार और भक्कु उसके घर से चले गए और दूसरे दिन उसे पता चला कि उसके भाई कुलेश्वर की हत्या कर दी गई है। अपने साक्ष्य की कंडिका 3 में उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के दो महीने पहले, उसके भाई ने अपीलार्थी गोविंद के घर से नौकरी छोड़ दी थी और उसके भाई का गोविंद की पत्नी के साथ अवैध संबंध था।

20. मृतक की माँ पार्वती बाई (अभि०सा०-12) ने अपने साक्ष्य में अभिसाक्ष्य दिया है कि झरियार और शांतनु उसके घर आए थे, उसने उन्हें खाना खिलाया, परंतु कुलेश्वर ने खाना नहीं खाया, तीनों ने शराब पी, शांतनु और झरियार तालाब की तरफ गए और भक्कु उसके बेटे कुलेश्वर को उसके घर से कार्यक्रम देखने ले गया परंतु उसका बेटा ज़िंदा नहीं लौटा और दूसरे दिन उसकी लाश मिली। उसने यह

भी अभिसाक्ष्य है कि गोविंद ने अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंधों के कारण कुलेश्वर की हत्या की है।

21. जहां तक अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत का प्रश्न है, अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है, परंतु यदि यह प्रमाणित हो जाता है और यदि मृतक को अभियुक्त के साथ अंतिम बार देखे जाने और मृतक के अपराध या मृत्यु के बीच का समय अंतराल इतना कम है कि अभियुक्त और मृतक के बीच तीसरे व्यक्ति की संभावना को बाहर कर दिया जाए, तो यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हो सकता है कि मृतक के साथ मौजूद अभियुक्त ही वह व्यक्ति है जिसने मृतक का मानववध कारित किया है।

22. **हट्टी सिंह विरुद्ध हरियाणा राज्य**[6] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य अपने आप में उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तथापि, यह श्रृंखला में एक कड़ी प्रदान कर सकता है और जब तक मृतक को अभियुक्तों के साथ अंतिम बार देखे जाने और हत्या के बीच का समय अंतराल निकट न हो, केवल इसी आधार पर अभियुक्त का अपराध सिद्ध करना कठिन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. इसके अतिरिक्त, **गोवा राज्य विरुद्ध संजय ठाकरान और एक अन्य तथा संबद्ध अपील**[7] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि के प्रकरण में, अभियोजन पक्ष को परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला साबित करनी होगी जो अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ हों और ऐसे साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होने चाहिए, अपितु उसकी निर्दोषता से भी असंगत होने चाहिए। निर्णय की कंडिका 34 इस प्रकार है:-

> "34. इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार, आरोपित अपराध के लिए अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए सामान्यतः एक साथ अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति को

---

6 (2007) 12 एससीसी 471
7 (2007) 3 एससीसी 755

ध्यान में रखा जाएगा, जब अभियोजन पक्ष यह सिद्ध कर दे कि अभियुक्त और मृतक के साथ जीवित पाए जाने और मृतक के मृत पाए जाने के बीच का समय अंतराल इतना कम है कि मृतक के साथ किसी अन्य व्यक्ति के होने की संभावना को पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है। मृतक के साथ अभियुक्तों के देखे जाने और अपराध का पता चलने के बीच का समय अंतराल साक्ष्य की विवेचना और अभियुक्त के विरुद्ध एक परिस्थिति के रूप में उस पर भरोसा करने के लिए एक तात्विक विचारणीय बिंदु होगा। परंतु, सभी मामलों में, यह नहीं कहा जा सकता कि एक साथ अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य को केवल इसलिए अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि अभियुक्तों और मृतक के एक साथ अंतिम बार देखे जाने और अपराध के पता चलने के बीच का समय अंतराल दीर्घ अवधि के बाद का है। इस संबंध में समय अंतराल की अवधि के लिए कोई निश्चित या सीधा सूत्र नहीं हो सकता है और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर निर्भर करेगा कि वह बीच की अवधि में मृतक से किसी अन्य व्यक्ति के मिलने की संभावना को दूर करे, अर्थात, यदि अभियोजन पक्ष ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम है कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध का रचयिता होने की संभावना असंभव हो जाती है, तो अंतिम बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति का साक्ष्य, यद्यपि इसमें लंबा समय लगता है, ऐसे अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में से एक माना जा सकता है। अतः, यदि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध कर देता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, घटना स्थल पर या अपराध घटित होने से पहले, बीच की अवधि में मृतक से किसी अन्य व्यक्ति के मिलने या उसके निकट आने की कोई संभावना नहीं थी, तो अंतिम बार एक साथ देखे जाने का प्रमाण सुसंगत साक्ष्य होगा। प्रदर्श के लिए, यदि यह यह दर्शाकर सिद्ध किया जा सके कि एकमात्र अभियुक्तगण ही उस स्थान पर थे, जहाँ घटना घटी थी या जहाँ उन्हें मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था, और उस स्थान पर किसी तीसरे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार के आने की कोई संभावना नहीं थी, तो अपेक्षाकृत अधिक समय अंतराल अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित नहीं करेगा।"

24. वर्तमान मामले में, मृतक के पिता आशाराम (अभि०सा०-1) ने विशेष रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी संख्या 2 भक्तू, कुलेश्वर को अपने साथ अपीलार्थी संख्या 1 गोविंद के घर भोजन करने ले गया था। मृतक के भाई अशोक कुमार साहू (अभि०सा०-3) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि भक्तू के कहने पर, कुलेश्वर, भक्तू के साथ गोविंद के घर भोजन करने गया था। अपनी साक्ष्य की कंडिका 5 में उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, रात लगभग 8-9 बजे मृतक और भक्तू उसके घर से चले गए थे।

25. झरियार (अभि०सा०-6) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने भक्तु और शांतनु के साथ मृतक के घर में भोजन किया था, परंतु मृतक ने भोजन नहीं किया था। भोजन करने के बाद, वह शांतनु, भक्तु और कुलेश्वर के साथ पान की दुकान और समारोह स्थल की ओर गया, उसके बाद शांतनु अपने घर चला गया और भक्तु पान की दुकान के पास मौजूद था। अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में, उसने स्वीकार किया है कि भक्तु ने उसे बताया था कि कुलेश्वर ने अधिक मात्रा में शराब पी ली थी। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक के पिता आशाराम मृतक को सुलाने के लिए कमरे के अंदर ले गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. मृतक के एक अन्य भाई तोपलाल साहू (अभि०सा०-8) ने अपने साक्ष्य में अभिसाक्ष्य दिया है कि शांतनु, झरियार और भक्तू ने मृतक कुलेश्वर के साथ भोजन किया था और भोजन के बाद शांतनु, झरियार और भक्तू कार्यक्रम देखने गए थे। अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 में, उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि बाद में उसे पता चला कि पहले झरियार और शांतनु घर से गए थे और फिर भक्तू और कुलेश्वर गए थे।

27. मृतक की मां पार्वती बाई (अभि०सा०-12), जिसने भक्तू, झरियार और शांतनु को भोजन कराया था, ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उस समय कुलेश्वर ने भोजन

नहीं किया था, तीनों व्यक्तियों ने शराब पी थी, फिर शांतनु और झरियार तालाब की ओर चले गए और भक्तू अपने बेटे कुलेश्वर को कार्यक्रम दिखाने के लिए ले गया।

28. इन साक्षियों के साक्ष्यों में कुछ विसंगतियाँ हैं, परंतु इन साक्षियों के साक्ष्यों से पता चलता है कि जिस दिन घटना हुई उस दिन शांतनु, झरियार और भक्तू कुलेश्वर के घर पर मौजूद थे, उन्होंने भोजन किया और भोजन करने के बाद, भक्तू और मृतक कुलेश्वर, कुलेश्वर के घर से चले गए, परतुं कुलेश्वर वापस अपने घर नहीं लौटा और दूसरे दिन, उसका शव सनत के खेत में मिला। यदि इन साक्षियों के साक्ष्यों पर एक साथ विचार किया जाए, तो यह उपधारणा की जा सकती है कि दिनांक 5-3-2002 को रात लगभग 8-9 बजे मृतक कुलेश्वर अपीलार्थी क्रमांक 2 भक्तू के साथ गया था और जब भक्तू कुलेश्वर के घर से, तब मृतक कुलेश्वर को भक्तू के साथ जीवित देखा गया था। तथापि, ये साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि मृतक को आखिरी बार अपीलार्थी क्रमांक 1 गोविंद के साथ जीवित देखा गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. अभियोजन पक्ष ने अन्य परिस्थितियों से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि अपीलार्थीगण की न्यायिकेत्तर संस्वीकृतियां। दिगम्बर कश्यप(अभि०सा०-5) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के बाद, पूछताछ के दौरान, उसने स्वयं गोविंद से पूछा था, जिस पर गोविंद ने उसे बताया था कि कुलेश्वर का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था, इसलिए उसने भक्तू के साथ मिलकर कुलेश्वर की गला दबाकर हत्या कर दी है। नरेन्द्र कुमार (अभि०सा०-7) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि पूछताछ के समय उसने भक्तू से पूछा था, जिस पर भक्तू ने उसे बताया था कि उसने कुलेश्वर की हत्या कर शव को मंडल के खेत में फेंक दिया है और गोविंद ने बताया था कि कुलेश्वर का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था, इसलिए उसने पहले ही कुलेश्वर को काम से हटा दिया था।

30. बचाव पक्ष ने दिगंबर कश्यप (अभि०सा०-5) का विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 में उसने स्वीकार किया है कि भक्तू राम समारोह में मौजूद था। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 13 में उसने स्वीकार किया है कि पुलिस

पहले दिन गोविंद को पुलिस चौकी ले गई थी और दूसरे दिन वे गोविंद के साथ आए थे, पुलिस गोविंद से पंचायत भवन के अंदर पूछताछ कर रही थी, उन्होंने गोविंद से एक अन्य कमरे में भी पूछताछ की थी, उस समय पुलिस उस कमरे में मौजूद नहीं थी, परंतु वे कमरे के बाहर बरामदे में बैठे थे और गोविंद ने उसके सामने न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की थी। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 16 में उसने आगे स्वीकार किया है कि गोविंद ने अपने घर में न्यायिकेत्तर संस्वीकृति दी थी, जब पुलिस गोविंद के घर में रस्सी की तलाशी कर रही थी।

31. नरेंद्र कुमार (अभि०सा०-7) ने अपने साक्ष्य में अभिसाक्ष्य किया है कि जब पुलिस पूछताछ कर रही थी, उस समय उसने भक्तू और गोविंद से भी पूछा था, जिस पर उन्होंने उसके समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति दी थी। अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 में उसने स्वीकार किया है कि अन्वेषण अधिकारी कुमारी चंद्राकर ने उसे और अन्य व्यक्तियों को पहले ही बता दिया था कि अपीलार्थी गोविंद और भक्तू ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, और तब उन्हें पहली बार पता चला कि अपीलार्थीगण ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. दिगम्बर कश्यप (अभि०सा०-5) और नरेन्द्र कुमार (अभि०सा०-7) के साक्ष्यों से पता चलता है कि अपीलार्थीगण दो दिनों तक अभिरक्षा में थे, अभिरक्षा/निरुद्ध के दौरान पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी और अपीलार्थीगण ने पुलिस के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया है या न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की है। पूछताछ के दौरान, इन साक्षियों ने अपीलार्थीगण से भी यह पूछा था जिस पर उन्होंने उनके समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति दी थी, जिससे स्पष्ट है कि दोनों अपीलार्थीगण ने पुलिस की उपस्थिति में इन साक्षियों के समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति दी थी और यह इन साक्षियों, विशेष रूप से अन्वेषण अधिकारी द्वारा सूचित, की जानकारी में भी था। यदि इस संस्वीकृति कथन को सत्य माना जाता है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलार्थीगण ने पुलिस की उपस्थिति में न्यायिकेत्तर संस्वीकृति दी है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 25, 26 और 27 के अनुसार स्वीकार्य नहीं है।

33. तथ्यों के प्रकटीकरण और अपराध में प्रयुक्त हथियार, रस्सी की बरामदगी से संबंधित तीसरी परिस्थिति के संबंध में, चोवाराम पाल (अभि०सा०-4) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मेमोरेंडम प्रदर्श पी.-4 उसकी उपस्थिति में दर्ज किया गया था और रस्सी एवं अन्य वस्तुएँ प्रदर्श पी-5 से प्रदर्श पी-9 के अनुसार उसकी उपस्थिति में ही जब्त की गई थीं। उसने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि अपीलार्थी गोविंद ने क्या प्रकटीकरण कथन दिया है। अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 2 में, इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसे सूचित किया था कि उन्होंने अपीलार्थी गोविंद के घर से रस्सी जब्त कर ली थी और उन्होंने पंचायत भवन के अंदर जब्ती पत्रक तैयार किया था, तथापि प्रकटीकरण कथन और अपीलार्थी गोविंद की निशानदेही पर रस्सी की जब्ती का समर्थन अन्वेषण अधिकारी कुमारी चंद्राकर (अभि०सा०-18) के साक्ष्य से होता है। कुमारी चंद्राकर (अभि०सा०-18) ने अपने साक्ष्य में यह अभिकथन दिया है कि उसने गोविंद का प्रकटीकरण कथन तैयार किया था और गोविंद ने सब्जी बाड़ी से सूखी घास के नीचे से रस्सी निकाली थी। कुमारी चंद्राकर (अ.सा.-18) या चोवाराम पाल (अ.सा.-4) ने यह नहीं कथन नहीं किया है कि अपीलार्थी गोविंद ने उस रस्सी के बारे में प्रकटीकरण कथन दिया है जिसे सब्जी बाड़ी में सूखी घास (पैरा) के नीचे छिपाया गया था। रस्सी को जाँच के लिए डॉ. एस.के. दादू (अ.सा.-15) के पास भेजा गया था, जिन्होंने, प्रदर्श पी-16 के अनुसार, यह अभिमत दिया है कि मृतक के शरीर पर पाए गए बंधन के निशान जाँच के लिए भेजी गई रस्सी के कारण हो सकते हैं, परंतु उन्होंने रस्सी के आकार, विशेष रूप से उसकी मोटाई के आधार पर, यह निश्चित अभिमत नहीं दिया है कि गर्दन पर गोलाकार आकार में पाए गए बंधन के निशान उक्त रस्सी के कारण हो सकते हैं। उक्त बंधन के निशान सामान्य मोटाई की किसी भी रस्सी के कारण हो सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने अंतिम बार एक साथ देखे जाने के साक्ष्य और आशाराम (अ.सा.-1), अशोक कुमार साहू (अ.सा.-3), झरियार (अ.सा.-6), तोपलाल साहू (अ.सा.-8) और पार्वती बाई (अ.सा.-12) के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिनसे पता चलता है कि मृतक कुलेश्वर अपीलार्थी क्र, 2 भक्तू के साथ उसके घर से अपीलार्थी क्र. 1 गोविंद के घर भोजन करने गया था।

झरियार (अ.सा.-6), जो कुलेश्वर और भक्तू के साथ था, ने विशेष रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह समारोह स्थल गया था, शांतनु अपने घर गया था और भक्तू पान की दुकान के पास मौजूद था। दिगम्बर कश्यप (अ.सा.-5) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 में यह भी स्वीकार किया है कि भक्तू उस समारोह में उपस्थित था जहाँ वह भी उपस्थित था। इससे पता चलता है कि कुलेश्वर भक्तू के साथ अपने घर से निकला था, परंतु उसके बाद, कुलेश्वर भक्तू के साथ समारोह स्थल के पास उपस्थित नहीं था और भक्तू समारोह स्थल के पास मौजूद था। यह साक्ष्य अपीलार्थी क्रमांक 2 भक्तू से संबंधित अंतिम बार एक साथ देखे जाने के सिद्धांत को पुष्ट करता है, इससे पता चलता है कि भक्तू कुलेश्वर के साथ कुलेश्वर के घर से निकला था, दोनों समारोह स्थल की ओर गए और भक्तू समारोह स्थल पर ही रुक गया।

35. अंतिम बार साथ देखे जाने के प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **सहदेवन उर्फ सागदेवन विरुद्ध राज्य, द्वारा पुलिस निरीक्षक, चेन्नई**[8] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियोजन पक्ष विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर यह स्थापित करता है कि लापता व्यक्ति को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था और उसके बाद उसे कभी नहीं देखा गया, तो अभियुक्त के लिए उन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देना अनिवार्य होगा जिनमें लापता व्यक्ति और अभियुक्त अलग हुए थे । निर्णय की कंडिका 19 इस प्रकार है:-

> "19. अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जिस अंतिम परिस्थिति का अवलंब लिया गया है, वह विचारण में अपीलार्थीगण द्वारा वडिवेलु से अलग होने के संबंध में अपनाए गए रुख से संबंधित है। यहाँ हमें ध्यान देना चाहिए कि जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अभियोजन पक्ष ने यह तथ्य स्थापित किया है कि वडिवेलु दिनांक 5.3.1985 की सुबह से उसी दिन कम से कम शाम 5 बजे तक अपीलार्थीगण के साथ देखा गया था, जब उसे उसके घर लाया गया था और उसके बाद दिनांक 6.3.1985 की सुबह उसका शव मिला था। इसलिए, अपीलार्थीगण के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे न्यायालय को इस बात से संतुष्ट करें कि वडिवेलु

[8] (2003) 1 एससीसी 534

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उनसे कैसे, कहाँ और किस तरह अलग हुआ था। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो व्यक्ति अंतिम बार किसी अन्य व्यक्ति के साथ पाया जाता है, यदि बाद में लापता पाया जाता है, तो जिस व्यक्ति के साथ वह अंतिम बार पाया गया था, उसे उन परिस्थितियों की स्पष्ट व्याख्या करनी होगी जिनमें वे अलग हुए थे। इस मामले में अपीलार्थीगण इस दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहे है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत उनके कथन में, उन्होंने कोई भी विशिष्ट रुख नहीं अपनाया है। अभि०सा०-25 के साक्ष्य से पता चलता है कि दिनांक 5.3.1985 को दोपहर में जब वडिवेलु को उक्त साक्षी के सामने प्रस्तुत किया गया था, तो उसने पूछताछ के बाद वडिवेलु को जाने दिया था, परंतु फिर उसके साक्ष्य से ज्ञात होता है कि उसने ए-1 को वडिवेलु की निगरानी करने का निर्देश दिया था। ऐसी परिस्थितियों में, ए-1 का यह दायित्व था कि वह न्यायालय को यह स्पष्ट करता कि किन परिस्थितियों में वे अलग हुए थे। उसने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसके विपरीत, अभियोजन पक्ष ने यह तथ्य स्थापित किया है कि उसी दिन शाम लगभग 5 बजे, वडिवेलु को अपीलार्थीगण द्वारा अभि०सा०-1 के घर लाया गया था, जिसे अभि०सा०-5 ने देखा था। अभि०सा०-5 के साक्ष्य के इस भाग को प्रतिपरीक्षण में चुनौती नहीं दी गई है और इसलिए हमें इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि अभि०सा०-5 द्वारा इस संबंध में कही गई बातें सत्य हैं। यदि ऐसा है, तो अभियोजन पक्ष ने यह तथ्य स्थापित कर दिया है कि दिनांक 5.3.1985 को शाम 5 बजे वडिवेलु अभी भी इन अपीलार्थीगण के साथ मौजूद था और इसलिए, इस संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से कोई विशिष्ट स्पष्टीकरण न दिए जाने और अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध अन्य आरोपारोपक परिस्थितियों को सिद्ध कर दिए जाने को दृष्टिगत रखते हुए, वडिवेलु के लापता होने में उनकी भूमिका के संबंध में इन अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना होगा। इस बिंदु पर, यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि यद्यपि अपीलार्थीगण ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अंतर्गत अपने कथन में वडिवेलु से अलग होने के संबंध में कोई विशिष्ट रुख नहीं अपनाया है, फिर भी अभि०सा०-1 और 5 के साक्ष्य से यह देखा जा सकता है कि ए-1 ने दिनांक 5-3-1985 और 6-3-1985 की मध्यरात्रि को उक्त साक्षियों को बताया था कि वडिवेलु पुलिस थाने से भाग गया था जब उसे थाने के बरामदे में सोने की अनुमति दी गई थी। ए-1 द्वारा अभि०सा०-1 को दिया गया यह स्पष्टीकरण, जिसे अभि०सा० 5 और 14 ने भी सुना था, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह पूरी तरह से झूठा है और स्पष्ट रूप से अपीलार्थीगण द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाने के लिए एक बहाना था, और इसलिए, ए-1 द्वारा अभि०सा०-1 को झूठा कथन देने की यह परिस्थिति भी अपीलार्थीगण के विरुद्ध एक परिस्थिति के रूप में ली जा सकती है, जिससे अपीलार्थीगण का अपराध सिद्ध होता है। इस न्यायालय ने एकाधिक प्रकरणों में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियोजन पक्ष, विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर, यह सिद्ध करता है कि लापता व्यक्ति को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था और उसके बाद उसे कभी नहीं देखा गया था, तो अभियुक्त के लिए उन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देना अनिवार्य है जिनमें लापता व्यक्ति और अभियुक्त एक दूसरे से अलग हुए थे [देखें जोसेफ विरुद्ध केरल राज्य [2000 5 एससीसी 197]। इसलिए, हम अधीनस्थ न्यायालयों के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि परिस्थिति संख्या भी अपीलार्थीगण के विरुद्ध सिद्ध होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **सहदेवन** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है, अंतिम बार साथ देखे जाने की स्थिति में अभियुक्त का यह दायित्व था कि वह यह बताए कि वह और मृतक कब अलग हुए थे। परंतु वर्तमान मामले में, साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक के साथ मृतक के घर से निकलने के बाद, थोड़े समय के अंतराल में ही अपीलार्थी संख्या 2 भक्तू और मृतक अलग हो गए थे और भक्तू समारोह स्थल पर उपस्थित था, तथापि, मृतक को अपीलार्थी क्र. 1 गोविंद के साथ अंतिम बार जीवित नहीं देखा गया था।

37. जैसा कि **लखनपाल** (पूर्वोक्त), **रतन** (पूर्वोक्त) और **अंतर** (पूर्वोक्त) के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है, अपीलार्थीगण की कथित न्यायिकेत्तर संस्वीकृति साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है। जैसा कि **तरसीम** (पूर्वोक्त) और **श्रीपद** (पूर्वोक्त) के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है, अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के अपराध को इंगित करने के लिए पर्याप्त परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला साबित करने के लिए बाध्य था।

38. तथापि, वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने अंतिम बार एक साथ देखे जाने, अभियुक्तों द्वारा दिए गए न्यायिकेत्तर संस्वीकृति तथा अन्य परिस्थितियों से संबंधित परिस्थितियों को यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्ततः साबित नहीं किया है कि अपीलार्थीगण ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपराध कारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने इस निर्णय की कंडिका 1 में उल्लिखित रीती से अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध और दण्डादिष्ट किया था, परंतु इस तथ्य पर विचार नहीं किया था कि कथित न्यायिकेत्तर संस्वीकृति पुलिस की उपस्थिति में की गई थी जो स्वीकार्य नहीं थी और अभियोजन पक्ष ने इस तथ्य को प्रमाणित नहीं किया था कि मृतक अपनी मृत्यु से पहले अंतिम समय में और अन्य परिस्थितियों में अपीलार्थीगण के साथ जीवित था, और इस प्रकार न्यायाधीश ने अवैधता की थी।

40. वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्हें अन्य स्रोतों से ज्ञात हुआ था कि मृतक अपीलार्थी क्र. 1 गोविंद की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी क्र. 1 गोविंद की पत्नी गीता बाई (अभि०सा०-13) का भी परीक्षण किया है, जिसने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। अन्यथा भी, किसी भी साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि उन्हें ऐसे संबंध के बारे में कैसे पता चला। अतः, वर्तमान प्रकरण में, अपराध का हेतुक लुप्त है।

41. पूर्वगामी कारणों से, हमारा यह सुविचारित मत है कि भारतीय दंड संहिता की

धारा 302 और 201 के अंतर्गत अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि और दंड विधिक दृष्टि में पोषणीय नहीं हैं। यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के अंतर्गत अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि और दंड अपास्त की जाती हैं और उन्हें उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थीगण अभिरक्षा में हैं, यदि किसी अन्य प्रकरण में उनकी आवश्यकता न हो, तो उन्हें तत्काल मुक्त किया जाए।

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

सही/-
आर.एल. झंवर
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Ratna Sahu, Advocate